राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2551 / 2024

कल्लन माली

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गंगापुर सिटी, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.08.2024
आदेश की दिनांक : 02.09.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी. शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पम्प चालक द्वितीय के पद पर दिनांक 05.12.1974 को हुई थी। प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 17.07.1996 के द्वारा वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 14 पर अंकित है। श्री रामबाबू शर्मा का नाम क्रम संख्या 11 पर एवं श्री दामोदर प्रसाद शर्मा का नाम क्रम संख्या 13 पर अंकित है, जिनकी नियुक्ति तिथि 09.02.1974 है। श्री रामबाबू एवं श्री दामोदर प्रसाद शर्मा दोनों ने माननीय उच्च न्यायालय में चयनित वेतन का लाभ एक ही स्केल में दिये जाने के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलम्ब लेते हुए 9, 18 एवं 27 वर्ष का चयनित वेतन मान् अलग–अलग वेतन श्रृंखला में दिये जाने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय की अनुपालना में

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री दामोदर प्रसाद शर्मा को द्वितीय चयनित वेतन श्रृंखला में 5000–8000 व 27 वर्ष पूर्ण करने पर पर 5500–9000 की वेतन श्रृंखला दी गई। जबकि अपीलार्थी को 18 वर्ष पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतन श्रृंखला 4000–6000 तथा 27 वर्ष पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतन श्रृंखला 5000–8000 दी गई। भाननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 7800/2019 घनश्याम बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 27.08.2019 के अनुसार यदिं कर्मचारियों के अगर आयसोलेटेड पद है तो उसे उच्च श्रृंखला का वेतन दिया जावे। अपीलार्थी ने दिनांक 01.05.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 1631/2024 मोहन लाल बनाम सचिव पीएचईडी में पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 (अनुलग्नक–3) का उद्धरण देकर अपीलार्थी – का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5500–9000 की वेतन श्रृंखला दी जावे एवं समस्त एरियर सहित 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से समस्त पारिणामिक लाभ का भुगतान किया जावें।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को

निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)